सभी SDC (कुशल युवा कार्यक्रम एवं डोमेन स्किलिंग)
सभी BSDC (कुशल युवा कार्यक्रम)
सभी राज्य सम्पोषित प्रधान मंत्री कौशल
विकास योजना केन्द्र
सभी Recruit-Train-Deploy(RTD) केन्द्र
सभी Recognition of Prior Learning(RPL) केन्द्र

आप अवगत हैं कि दिनांक-10.03.2019 के प्रभाव से पूरे देश में चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू हो गया है । इस अवधि में ऐसे स्थल/केन्द्र पर, जहाँ सरकार द्वारा संचालित किसी योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है, कोई ऐसा बैनर, पोस्टर, फ्लेक्स आदि नहीं अधिष्ठापित रहना है जिसपर किसी माननीय मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री या माननीय प्रधान मंत्री या अन्य किसी जन प्रतिनिधि या राजनैतिक हस्ती का चित्र उपलब्ध हो ।

अतः सभी केन्द्र संचालकों को निदेश दिया जाता है कि यदि उनके केन्द्र पर इस तरह का कोई बैनर, पोस्टर, आदि का अधिष्ठापन किया गया है, जिसपर किसी राजनैतिक व्यक्ति का फोटो उपलब्ध है, उसे तत्काल प्रभाव से हटा लें । आदर्श आचार संहिता की समाप्ति के पश्चात पुनः ऐसे बैनर, पोस्टर आदि की स्थापना की जा सकती है । यदि चुनाव आदर्श आचार संहिता के दौरान किसी भी केन्द्र पर इस तरह का कोई बैनर, पोस्टर आदि पाया जाता है तो उनके विरुद्ध जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की सुसंगत धाराओं के अधीन कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

बिहार कौशल विकास मिशन,
बिहार,पटना ।